

मेरठ जोन के अन्तर्गत वसुधरा योजना गाजियाबाद, सिद्धार्थ विहार, ट्रान्सपोर्ट नगर, शास्त्रीनगर, जागृति विहार, माधवपुरम योजना में व्यावसायिक भूखण्डों/ गुप हाउसिंग/मल्टीप्लेक्स भूखण्ड/दुकानों/संस्थागत एवं हेल्थ सेन्टर आदि की

आवंटन/नीलामी तिथि 04.02.2015
प्रातः 11:00 बजे

आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी स्थलः सामुदायिक केन्द्र सेक्टर-3 जागृति विहार, मेरठ



नीलामी से निस्तारित होने वाले आवासीय भवन/भूखण्ड

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भवन/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	भूमि दर प्रीहोल्ड सहित प्र.व.मी०	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि (लाख में)
शास्त्रीनगर योजना संख्या-3 मेरठ					
दुर्बल आय वर्ग भवन (जी-ब्लॉक (01 नग)	G-13/12(SC)	17.74	---	228000	11400
जागृति विहार योजना संख्या-6 मेरठ					
आवासीय भूखण्ड (सेक्टर-1)(03 नग)	90/1(SC), 91/1(GEN), 47/1(SC)	221.72 से 348.40 तक	21280.00	47.19 से 74.14 (लाख)	2.35 से 3.70 (लाख)
माधवपुरम योजना संख्या-10 मेरठ					
81 से 170 व.मी. तक भूखण्ड सेक्टर-2 व 4 (07 नग)	2/266(OBC), 4/537(GEN), 4/538(GEN), 4/539(SC), 4/540(OBC), 4/541(SC), 2/264(SC)	98.52 से 171.00 तक	13440.00	13.25 से 22.98 (लाख) तक	0.68 से 1.50 (लाख) तक

नोट: मेरे शहर की वित्त सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी (जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल, टोकन धनराशि/अन्य) कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी से निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	अधिकतम ऊँचाई मी. में	भूमि दर प्रीहोल्ड सहित प्र.व.मी०	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ						
व्यावसायिक भूखण्ड आई-ब्लॉक (01 नग)	I.S.-116/2	128.00	10.50	42560.00	544768	544768
व्यावसायिक भूखण्ड एल-ब्लॉक (02 नग)	CPL-1001(Corner) CPL-1002	461.25 322.87	10.50 10.50	46816.00 42560.00	21593880 13741347	2159388 1374135
दुकाने डी एवं के ब्लॉक (29 नग)	D.S-4, 5, 8, 12, 14, 20 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 35 K-1, 2, 3, 4, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 25,	6.56 से 24.88 8.131 से 9.099	-- --	9.12 से 34.62 (लाख) 9.38 से 10.50 (लाख)	0.92 से 3.46 (लाख) 0.94 से 1.05 (लाख)	
जागृति विहार योजना संख्या-6, मेरठ						
दुकाने सेक्टर-3 (05 नग)	S-3/11, 3/12, 3/13, 3/15, 3/16	14.19	-	..	2163250	216325
शास्त्रीनगर योजना संख्या-7, मेरठ						
व्यावसायिक भूखण्ड सेक्टर-3 (01 नग)	3/Comm-A	1360.26	उपविधि के अनुसार	42560.00	57892666	5789267

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ

हेल्थ सेन्टर भूखण्ड सेक्टर-1 (Corner)	874.39	उपविधि के अनुसार	22176.00	193826889	19382689
मल्टी प्लेक्स भूखण्ड 2/एमपी-01 (Corner)	7300.00	उपविधि के अनुसार	29568.00	215846400	21584640
व्यावसायिक भूखण्ड सेक्टर-3 (01 नग)	2CP-1 2PR-1 (पार्किंग हेतु)	1701.50+203.50 = 1905.00	उपविधि के अनुसार	29568.00	56327040

* एफ.ए.आर. उपविधि के अनुसार * ग्राउन्ड कवरेज उपविधि के अनुसार

नोट-1 माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-2सीपी-1 जिसका क्षेत्रफल 1701.50 व.मी. है जिस पर उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा तथा 2पीआर-1 जिसका क्षेत्रफल 203.50 व.मी. है, व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-2सीपी-1 के साथ पार्किंग हेतु उपलब्ध है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

नोट-2 मेरठ शहर की वित्त सम्पत्तियों के विस्तृत जानकारी (सिजमें भूखण्ड का क्षेत्रफल, टोकन धनराशि/अन्य) कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.में)	आरक्षण	भूमि दर (प्र.व.मी.)	भूखण्ड मूल्य (रु.लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु.लाख में)
अशोक विहार योजना, खतौली से बड़े आवासीय भूखण्ड						
80 व.मी. से बड़े आवासीय भूखण्ड	डी-128	245.67 से	(Gen)	7840.00	19.34 से	0.97 से
	डी-145	295.22 तक	(OBC)	7840.00	23.15 तक	1.16 तक
53/127 प्रकार मध्यम आय वर्ग भवन	डी-128	127.50	(Gen)	-	15.50	0.78
सम्पत्ति संख्या/आरक्षण	क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	भूमि दर (प्र.व.मी.)	भूखण्ड मूल्य (रु.लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु.लाख में)		

वरण विहार योजना, बड़ौत (आवासीय भूखण्ड)

1ए-371(SC), 1ए-373(SC)	30.15 से	16800.00	5.07 से	0.26 से
1ए-374(OBC), 1ए-375(OBC), 1ए-380(Gen), 1ए-381(Gen), 1ए-370(Gen), 1ए-382(Gen)	45.56 तक		7.66 तक	0.40 तक

नीलामी से निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियों का विवरण

भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित दर (रु. में) (प्र.व.मी.)	टोकन धनराशि (रु. में)
वसुधरा योजना गाजियाबाद				
व्यवसायिक सम्पत्तियाँ				
3 नग	31.83 से 3747.68 तक	सामान्य	93632.00 से 103488.00 तक	298100.00 से 38784000.00 तक
संस्थागत सम्पत्तियाँ				
5 नग	1912.00 से 6584.33 तक	सामान्य	70560.00 से 77616.00 तक	13491100.00 से 51105000.00 तक
होटल सम्पत्तियाँ				
1 नग	3558.30	सामान्य	103488.00	36824200.00
सामुदायिक केन्द्र सम्पत्तियाँ				
1 नग	1038.00	सामान्य	50820.00	5275200.00
नर्सिंग होम				
1 नग	1026.00	सामान्य	70560.00	7239500.00
हेल्थ सेन्टर				
1 नग	5232.52	सामान्य	70224.00	36745000.00
सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद				
व्यवसायिक सम्पत्तियाँ				
1 नग	461.18	सामान्य	80080.00	3693200.00
नर्सिंग होम				
1 नग	3090.11	सामान्य	54600.00	16872000.00
सामुदायिक केन्द्र				
1 नग	198.26	सामान्य	39325.00	7811000.00

वसुधरा योजना गाजियाबाद

दो मजिला एफ-60 प्रकार (मूलतः)				
4 नग	98.68 से 218.35 तक	सामान्य	5354600.00 से 10989300.00 तक	267680.00 से 549465.00 तक

सम्पत्ति संख्या/आरक्षण	क्षेत्रफल (व.मी.में)	एफ.ए.आर.	ग्राउन्ड कवरेज प्रतिशत	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (रु.लाख में)	टोकन मनी (रु.लाख में)
------------------------	----------------------	----------	------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------

शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर

होटल भूखण्ड (01 नग)						
2A/H-1 (Gen)	8088.40	1.50	40%	22916.00	2007.54	200.75

पतानपुरा योजना संख्या-1, सहारनपुर

दुकान (कुल 02 नग)						
एस-19, एस-20	9.62 से 14.19 तक	-	-	-	12.08 से 18.16 तक	1.21 से 1.82 तक

पतानपुरा योजना संख्या-5, सहारनपुर

व्यावसायिक भूखण्ड 01 नग						
सीपी-01(Gen)	481.61	1.20	40%	44800.00	254.72	25.47
नोट-एशोब हेतु कोई पड़ुल मार्ग उपलब्ध नहीं है।						

अशोक विहार योजना, खतौली

व्यावसायिक भूखण्ड 08 नग						
बी.काम-2 (OBC), बी.काम-3 (Gen)	78.20 से	1.20	40%	18745 से	14.66 से	1.47 से
बी.काम-4 (Gen), बी.काम-5 (Gen) कार्नेर	166.35 तक			20620 तक	31.96 तक	3.20 तक
बी.काम-6 (SC) कार्नेर, बी.काम-7 (OBC)						
बी.काम-8 (SC), बी.काम-9 (Gen)						

नियम एवं शर्तें : सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासन आदेश/परिषद के प्रदर्शन सम्बन्धि विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को व्यवसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत एवं आवासीय सम्पत्ति के कुल मूल्य का प्रतिशत टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा पे-ऑर्डर जो कि 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' गाजियाबाद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं। सीलड बिड कार्यालय कार्य दिवस में नीलामी से पूर्व दिनांक 02.02.2015 तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन दिनांक 04.02.2015 को प्रातः 10.00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। व्यवसायिक भूखण्डों में एफ.ए.आर., ग्राउन्ड कवरेज, अधिकतम ऊँचाई आदि की जानकारी सम्बन्धित वास्तुविद नियोजक इकाई-1, वसुधरा, गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संख्याओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कच्चा 50 प्रतिशत धनराशि जमा होने के उपरान्त शासन आदेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। नीलामी पुस्तिका रु. 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सेक्टर-16ए, वसुधरा कॉम्प्लेक्स, हल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं। आवास आयुक्त महोदय को बिना कोई कारण बताये बोली अस्वीकृत करने का अधिकार होगा एवं किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म.) का निर्णय अन्तिम होगा।

चयूतरे/दुकानें (विस्थापित) : वसुधरा योजना गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी में दुकानों हेतु पंजीकृत आवेदकों को मध्य सहमति के आधार पर लॉटरी ड्रा द्वारा आवंटन उपरोक्त दिनांक एवं स्थल पर किया जायेगा। आवंटन में राजस्व गाँव के पंजीकृत व्यक्तियों को वरीयता देते हुए आवंटन किया जायेगा। विस्थापित पंजीकृत आवेदक, जो सम्पत्ति लेने के इच्छुक हो, अपनी सहमति दिनांक 02.02.2015 तक सम्पत्ति कार्यालय, गाजियाबाद में दे सकते हैं। सहमति-पत्र कार्यालय से प्राप्त कर उक्त दिनांक तक लिखित सहमति प्राप्त करा सकते हैं। परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दुकानों का आवंटन मूल मूल्यांकन की पद्धति (दुकानों का निर्माण मूल्य स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार व वर्तमान भूमि दर लेकर) के अनुसार आवंटित की जायेगी।

नोट: सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद स्थित गंगा, यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेंट में एक ही फ्लैट से परिवर्तन हेतु प्राप्त एक से अधिक आवेदन का निस्तारण लॉरी के माध्यम से किया जायेगा।

नोट: सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में गंगा, यमुना हिण्डन अपार्टमेंट एवं गण्डोला विहार योजना में आसरा-1, 2 एवं सपना-1, 2 (प्रथम चरण 2011) प्रकार के भवनों के सर्विस टैक्स सम्बन्धि मांग पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। सर्विस टैक्स सम्बन्ध जमा की जाने वाली सूचना वसुधरा स्थित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त

डायल करें

टोल फ्री-1800-180-5333
 0522-2236803

परिषद् ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005



सेवात्मक प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
 website : <http://www.info@upavp.com>
 E-Mail : upavp@sancharnet.in

